तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/2/2021	वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली में निर्णय लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल हुक्म होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा पत्रावली के साथ हमकीता रहे। उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.16 12:01:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीन अधिकारीः—देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0 13/2020	आर.सी.एम.एस 2020/00064	तारीख रजू 25.08.2020

1. रामद्वारा करौली जरिये संत उदयराम ट्रस्टी एवं अध्यक्ष रामद्वारा रामस्नेही ट्रस्ट गउशाला के सामने करौली तहसील करौली जिला करौली राज0।

सायल

बनाम

1. हनुमंतसिंह पुत्र बदनसिंह आयु 53 साल जाति गुर्जर निवासी मूडिया हाल रामद्वारा करौली तहसील करौली जिला करौली राज0।
2. गुप्तनसिंह पुत्र बदन.सिंह आयु 36 साल जाति गुर्जर निवासी मूडिया हाल रामद्वारा करौली तहसील करौली जिला करौली राज0।
3. थानसिंह पुत्र बदनसिंह आयु 44 साल जाति गुर्जर निवासी मूडिया हाल रामद्वारा करौली तहसील करौली जिला करौली राज0।
4. तहसीलदार तहसील कार्यालय करौली राज0।

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र धारा 212 .आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 09.02.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 4697,4699,4700,4701,4702,4703,4704,4705 कुल किता 08 कुल रकवा 5.00 वीघा कस्वा करौली मं स्थित है रामद्वारा रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जिसका सायल उदयराम ट्रस्ट व अध्यक्ष है। खसरा नम्बर 4703 में रामद्वारे की मकानीयत वनी हुयी है खसरा नम्बर 4702 चाह है खसरा नम्बर 4704 रकवा 1.00 वीधा 13.00 विस्वा में से कुछ भूमि गैरसायल नम्बर 1 व 2 को किराये पर दी हुई, उसके अतिरिक्त नक्शा सलग्न वादपत्र मार्क वरंग सुर्ख दर्शायी भूमि सायल के कब्जे काश्त व खातेदारी की है जो उक्त खसरा नम्बर का शेष भाग है। सायल वुर्जुग आदमी है और गैरसायलान झगडालू व ताकतवर व्यक्ति है किराये पर ली गई भूमि के अतिरिक्त दीगर भूमि के कब्जे काश्त उपयोग सायल में आये दिन व्रूवधान डालने व लठके जोर पर निर्माण करने पर आमादा है मौके पर दिनांक 14.08.2020 को उक्त आराजी मे ट्रोली खण्डे की डाल दी है एवं नक्शा में सायल द्वारा वनायी गयी सुरक्षा दीवाल को भी गैरसायलान ने तोड़ दिया है और उनके खण्डों को भी गायव कर दिया और वरंगसुर्ख जमीन पर अवैध रूप से टीनशेड डालकर सायल के कब्जे कश्त में व्यवधान डालने पर आमादा है जबकि उक्त भूमि से गैरसायलान का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है केवल मनमर्जी से जमीन को हड़पने पर आमादा है गैरसायलान को भूमि में टीनशेड डालने से सायल के मना किया लेकिन गैरसायलान नही माने इसके वाद भी विवादित जमीन से टीनशैड को सायल द्वारा हटाने पर झगडा करने पर आमादा है गैरसायलान के इस कारण से सायल के हक हकुक प्रभावित है। इसलिए सायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.16 12:01:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वादपत्र पावन्द कराने का अधिकारी है अन्त में प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

गैरसायलान ने उपस्थित होकर जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि सायल का ना कोई प्राईमाफेसी केश ना सुविश का सतुलका व अपूर्णीय क्षति उसके पक्ष में है। रामद्वारा ट्रस्ट का सायल ट्रस्ट व अध्यक्ष नही है। सायल ने 51 वर्क को भूमि 65X50 फुट लम्बाई चौडाई की गैरसायल को दिनांक 30.09.2010 को किराये पर दी है जिस पर सायल की सहमति से पुराना मकान निर्माण गैरसायल ने 25–30 लाख रूपये की लागात लगाकर कराया है जिसके मय गृहस्थी के निवास कर रहा है।

इसके अलावा 120X75 लम्बई चौडाई की जमीन दिनांक 02.02.2009 को सायल ने मुझ गैरसायल न01 को किराये पर दी है। इस प्रकार सायल द्वारा किराये पर दही गई भूमियों पर गैर सायलान का कब्जा चला आ रहा है। इन तथ्यो को सायल ने जानबूझ कर छिपाया है सायल शुध हस्त से नही आया है वंराम सुर्ख भूमि खातेदारी व कब्जे काश्त की होना असत्य दर्ज किया है कभी होई काश्त खसरा नम्बर 4704 के करवे व अन्य नम्बरान में गित 25X30 साज सं नही हुयी है। वल्कि आजी के उपयोग उपयोग में आ रही है। रामद्वारा के उक्त नम्बरान में कीतिराम उर्फ कीरतराम राम स्नेही चेला रामदतन महाराज रामस्नेही सम्प्रदाय द्वारा आदेश विधा मंदिर करौली को शिरू में 30 वर्ष के लिए जिसमं विधालय चल रहा है। के कमरे वने हुये व दिशा उत्र खेल मैदान विधार्थीयों के खेलने के लिए बना हुआ है विधालय मं हजारों विधार्थी अध्यान कर रहे है सायल द्वारा दर्ज भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ 30X35 वर्ष पूर्व से चली आ रही है। कीर्तिराम द्वारा आदेश उच्च मा0 वि0 पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश में विधालय लीज कैन्सिल का मुकदमा दायर किया गया है। जिसमें सायल उदयराज ने कीतिराम से केमुखत्यार की हैसियत से विधालय के विरूद्व दावा मं राजीनामा कर भूमि को शाश्वत काल को विधालय को दे दी विधालय आज भी चल रहा है। इस दावा में सायल ने उक्त भूमि को आवादी भूमि होना अपने अभिवचनों मं दर्ज किया था, जो उनका स्वीकृत तथ्य है जिससे सायल विवधित है न्यायालय को दावा व प्रार्थना पत्र सुनवाई का अधिकार नही है। टीनशैड बाबत पूर्व से सायल का वाद न्यायालय अति0 सिविल न्यायाधीश करौली मं विचाराधीन होने के कारण दावा व प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है गैर सायल न03 को अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है उसके विशेष हर्जा खर्चा 10000/– रूपये सायल से दिलाया जावें। अन्त में प्रार्थना पत्र सायल खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजों का विवेचल नही किया पक्षकरान के मध्य खसरा नम्बर 4704 का विवाद है जो जमाबन्दी सम्बत 2072 से 2075 मं रामद्वारा के नाम दर्ज है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्राथमिक रूप से सायल के हक मं प्रतीत होता है। गैरसायल खसरा नम्बर 4704 को कुछ भाग का किरायेदार है जिसको खातेदार की विना इजाजत के निर्माण करने का विधिक अधिकार नही है। टीनशैड के सम्बन्ध में वाद सिविल न्यायालय मं पेश होना गैरसायल ने कथन किया है लेकिन वादपत्र की सिविल न्यायालय की आदेश की प्रमाणित प्रति या फोटो प्रति पत्रावली मं प्रस्तुत नही की गयी है। भूमि जब तक रूपान्तरित नही होती तब तक कृषिभूमि रहती है इस बाबत वकील सायल ने आर.आर.डी. 1985 पेश 281 प्रस्तुत की है जिसमें यह मत व्यक किया गया है जिससे हम सहमत है सुविधा का सतुलन व अपूर्णीय क्षति गैरसायलान को

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.16 12:01:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पाबन्द किये जाने में सायल के पक्ष में है सायल भूमि का खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र सायल विरूद्व गैरसायलान स्वीकार किया जाता है गैरसायलान को ताफैसला वादपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह आराजी खसरा नम्बर 4704 रकवा 1.00 वीधा 0.13 विस्वा की नक्शा सलंग्न प्रार्थना पत्र वंरजसुखं भूमि कस्वा करौली तहसील करौली के उपयोग उपभोग सायल में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नही करें और किसी प्रकार का नवीन निर्माण नही करें।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.16 12:01:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner